बिहार सरकार
उद्योग विभाग

3(स0) / उ०स्था०(आरोप)02 / 12

अधिसूचना

श्री अजय कुमार महतो, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया अतिरिक्त प्रभार उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया के अस्वस्थता के कारण उनके अवकाश में रहने की अवधि तक के लिए श्री राय ज्ञान चन्द्र, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद को विभागीय अधिसूचना संख्या–1168 दिनांक 20–03–2015 द्वारा प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया तथा उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–2998 / गो0 दिनांक 18–05–2015 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि श्री राय ज्ञान चन्द्र कभी भी गया नहीं आते हैं और न ही उनके द्वारा गया जिला के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इसके फलस्वरूप जिला उद्योग केन्द्र, गया का कार्य प्रभावित होने एवं कार्यों का निष्पादन नहीं होने की सूचना देते हुए श्री राय ज्ञान चन्द्र के विरूद्ध आदेश की अवहेलना, कार्य के निष्पादन में उदासीनता के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2124 दिनांक 25–05–2015 द्वारा श्री राय ज्ञान चन्द्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–4 के नियम–9(1)(क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–2393 दिनांक 16–06–2015 द्वारा श्री राय ज्ञान चन्द्र के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री रंजीत कुमार, बि0प्र0से0, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार को संचालन पदाधिकारी(जाँच पदाधिकारी) नियुक्त किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राय ज्ञान चन्द्र, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया के अतिरिक्त प्रभार में दिनांक 27–03–2015 से 23–05–2015 तक की प्रभार अवधि में लगभग 12(बारह) दिन जिला उद्योग केन्द्र, गया जाकर कार्यों का निष्पादन किया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी को माह के अंत में अगले माह का दैनन्दिनी अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम से जिला पदाधिकारी को अवगत कराने की व्यवस्था रही है ताकि जिला के वरीय पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी को इस बात की जानकारी रहे कि अमूक पदाधिकारी आज किस कार्य हेतु किस स्थल पर हैं। श्री राय ज्ञान चन्द्र दो जिलों के प्रभारी महाप्रबंधक थे, ऐसी स्थिति में उनको संभावित अग्रिम मासिक दैनन्दिनी कार्यक्रम तैयार कर इसकी प्रतिलिपि दोनो जिला पदाधिकारियों यथा जहानाबाद एवं गया को भेजी जानी चाहिए थी ताकि जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी को पदाधिकारी के संबंध में जानकारी रहे तथा भ्रम की स्थिति न हो।

विभागीय पत्रांक–4045 दिनांक 29–09–2015 द्वारा श्री राय ज्ञान चन्द्र से जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री राय ज्ञान चन्द्र द्वारा दिनांक 07–10–2015 को समर्पित लिखित अभिकथन के अनुसार दिनांक 27–03–2015 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया तथा उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इस आलोक में माह–मार्च का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री अजय कुमार महतो के संबंध में आश्वस्त थे कि दिनांक 11–04–2015 तक ही अवकाश में रहेंगे। इसलिए उनके द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम अग्रसारित नहीं किया जा सका।

कृ०पृ०उ०

25

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 2.doc

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राय ज्ञान चन्द्र के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित सूचना के आधार पर गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोप का खंडन हुआ है। यद्यपि कि श्री चन्द्र द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम से अवगत कराना चाहिए था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री राय ज्ञान चन्द्र को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने पदस्थापन के पद से संबंधित कर्त्तव्य के निर्वहन में सतर्कता बरतेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी के निदेशों का अनुपालन करेंगे।

2. इन्हें अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावल, 2005 के नियम–11 के अधीन निलम्बन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए यह आदेश दिया जाता है कि पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता को पूर्ण वेतनादि भुगतान में समायोजन किया जाय।

4. श्री राय ज्ञान चन्द्र को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स0)/उ०स्था०(आरोप)02/12

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1631 पटना, दिनांकः– 05-04-16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला पदाधिकारी, गया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री राय ज्ञान चन्द्र, निलम्बित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद, मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–3(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

5/4/2016
सरकार के उप सचिव
05/04/16

राकेश/05–04–16

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 2.doc